अप्रैल 23, 2020 कार्यकारी आदेश 2020-30

<u>कोविड-19 की प्रतिक्रिया में कार्यकारी आदेश</u>

<u>(कोविड-19 कार्यकारी आदेश क्रम.28)</u>

चूँकि, कोरोनावायरस 2019 (कोविड-19) एक नवीन गंभीर तीक्ष्ण श्वसन रोग है जो लोगों में श्वसन संचार के माध्यम से फैल सकता है और जिसमें इन्फ़्लुएंज़ा से मिलते-जुलते लक्षण पाए जाते है; और,

चूँकि, मैं, जेबी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय के राज्यपाल, ने COVID-19 के प्रकोप की प्रतिक्रिया में 9 मार्च 2020 को (प्रथम गवर्नर आपदा उद्घोषणा) इलिनॉय राज्य की सभी काउँटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

चूँकि, मैंने कोविड-19 के विस्फोटक प्रसार की प्रतिक्रिया में 1 अप्रैल 2020 को पुनः (प्रथम गवर्नर आपदा उद्घोषणा, गवर्नर आपदा उद्घोषणाओं के साथ द्वितीय गवर्नर आपदा उद्घोषणा को मिलाकर) इलिनॉय राज्य की सभी काउँटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

चूँकि, कुछ ही समय में कोविड-19 शीघ्रता से पूरे इलिनॉय में फैल गया है इसलिए संघीय, राजकीय, और स्थानीय सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा उद्दिनांकित और दृढ़ मार्गदर्शन दिए जाने की आवश्यकता है; और,

चूँकि, इलिनॉय में तथा इलिनॉय के सर्वत्र स्थानों पर कोविड-19 के मामले विस्फोटक गति से बढ़ गए हैं और इनके परिणामस्वरूप होनेवाली मौतों की संख्या बढ़ रही है; और,

चूँकि, 20 मार्च, 2020 को मैंने कार्यकारी आदेश 2020-10 जारी किया जिसमें मैंने वर्तमान में इलिनॉय राज्य में रह रहे सभी लोगों को, कार्यकारी आदेश में दी गई अनुमति के अलावा, घर पर या उनके निवास स्थान पर ही रहने का आदेश दिया था; और,

चूँकि, कार्यकारी आदेश 2020-10 में, मैंने कार्यकारी आदेश में परिभाषित आवश्यक व्यवसायों एवं संचालनों, और कार्यकारी आदेश में परिभाषित न्यूनतम आवश्यक संचालनों को छोड़कर, राज्य के भीतर सभी व्यवसायों, संचालनों, और अन्य सभी गतिविधियों को रोक देने का आदेश दिया था; और,

चूँकि, कार्यकारी आदेश 2020-18 द्वारा पूर्णरूपेण कार्यकारी आदेश 2020-10 को गवर्नर आपदा उद्घोषणाओं की अवधि, जोकि वर्तमान में अप्रैल 30, 2020 तक है, तक के लिए बढ़ा दिया गया है; और,

चूँकि, कोविड-19 के परिणामस्वरूप गंभीर आर्थिक प्रभाव पड़ा है, जिसमें आय और मज़दूरी का नुकसान भी शामिल है, जिससे कई इलिनॉयवासियों की वित्तीय सुरक्षा कमज़ोर होने का ख़तरा है; और,

चूँकि, यद्यपि कार्यकारी आदेश 2020-10 क़ानून प्रवर्तन को आवासीय संपत्तियों में से निष्कासन के आदेशों को लागू करने से प्रतिबंधित करता है, अविरत सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के दौरान आवासीय निष्कासन की कार्यवाहियों की रोकथाम के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की आवश्यकता है; और,

चूँकि, आवासीय निष्कासन सार्वजनिक स्वास्थ्य के संरक्षण के हित, जोकि यह सुनिश्चित करता है कि इस सार्वजनिक स्वास्थ्य आपदा के दौरान लोग अपने घरों में रहें, के विपरीत है; और,

चूँकि, गैर-आवासीय संपत्तियों के किराएदारों की सुरक्षा करना आवश्यक है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्यकारी आदेश 2020-10 में परिभाषित आवश्यक व्यवसाय और संचालन आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की प्रद्यता को जारी रखने में सक्षम हैं, और अन्य व्यवसाय पहले से अनिवार्य बंद और प्रतिबंध के अनुपालन करने में सक्षम हैं; और,

चूँकि, आवासीय और गैर-आवासीय निष्कासन कार्यवाहियाँ इलिनॉय कोड आफ़ सिविल प्रोसीजर 735 ILCS 5/9- 101 et seq. की धारा IX (*Article IX of the Illinois Code of Civil Procedure, 735 ILCS 5/9-101 et seq.*) के अंतर्गत शासित हैं; और,

चूँकि, कांसुलर आइडेंटिफ़िकेशन डाक्युमेंट ऐक्ट 5 ILCS 230/1 et seq. (*Consular Identification Document Act, 5 ILCS 230/1 et seq.*) की शर्त के अनुसार प्रत्येक राजकीय संस्था और अधिकारी, एवं स्थानीय सरकार की इकाई जिसके लिए जनता के सदस्यों को अपनी पहचान का प्रमाण देना आवश्यक है, वे कांसुलर पहचान दस्तावेज को व्यक्ति की वैध पहचान के रूप में स्वीकार करेंगे; और,

चूँकि, कांसुलर पहचान दस्तावेज एक विदेशी सरकार द्वारा उसके कांसुलर कार्यालय द्वारा उस देश से बाहर रहने वाले नागरिकों की पहचान के उद्देश्य से जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र है; और,

चूँकि, कोविड-19 के प्रसार को कम करने के प्रयास में इलिनॉय राज्य के कई कांसुलर कार्यालयों ने कुछ सेवाओं जिनमें कांसुलर पहचान दस्तावेजों के निर्गमन और नवीनीकरण शामिल हैं, को निलंबित या कम कर दिया है;

इसलिए, इलिनॉय राज्य के राज्यपाल के रूप में मुझमें निहित शक्तियों द्वारा, और इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ऐक्ट *20 ILCS 3305* के अनुच्छेदों 7(1), 7(2), 7(8), 7(10), और 7(12) (*Sections 7(1), 7(2), 7(8), 7(10), and 7(12) of the Illinois Emergency Management Agency Act, 20 ILCS*

3305) के अनुसरण में, मैं निम्नलिखित आदेश देता हूँ जो अप्रैल 23, 2020 से प्रभावी होकर गवर्नर आपदा उद्‌घोषणाओं की शेष अवधि तक लागू रहेंगे:

अनुच्छेद 1. परिभाषाएँ. इस कार्यकारी आदेश में प्रयुक्त "राजकीय संस्था" का अर्थ है राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी कार्यालय, विभाग, एजेंसी, बोर्ड, या आयोग या इलिनॉय राज्य की कार्यकारी शाखा का प्राधिकार।

अनुच्छेद 2. कोई व्यक्ति या संस्था 735 ILCS 5/9-101 et seq. (*735 ILCS 5/9-101 et seq.*) के अनुसरण में या उससे उत्पन्न होनेवाली आवासीय निष्कासन की कार्यवाही तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक कि एक किराएदार से अन्य किराएदारों के स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रत्यक्ष ख़तरा नहीं होता है, संपत्ति को एक अव्यवहित या गंभीर ख़तरा नहीं होता हो, या किसी अनुप्रयोज्य निर्माण अधिनियम, स्वास्थ्य अध्यादेश, या इसी प्रकार के विनियम का उल्लंघन ना हुआ हो। इस कार्यकारी आदेश में निहित कोई भी प्रावधान किसी भी व्यक्ति को किराए का भुगतान करने या किसी व्यक्ति के ठेके या किराया समझौते के अनुसरण में किसी अन्य दायित्व, के अनुपालन करने से छूट के रूप में नहीं समझा जाएगा। यह कार्यकारी आदेश किसी भी अन्य पूर्व कार्यकारी आदेश के किसी भी प्रावधान को प्रभावित नहीं करता है।

अनुच्छेद 3. इलिनॉय राज्य के सभी राजकीय, काऊँटी, और स्थानीय क़ानून प्रवर्तन अधिकारियों को गैर-आवासीय परिसर में से निष्कासन के आदेशों के प्रवर्तन को रोकने का निर्देश दिया जाता है, जब तक कि किराएदार से अन्य किराएदारों के स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रत्यक्ष ख़तरा नहीं हो, संपत्ति को एक अव्यवहित या गंभीर ख़तरा नहीं हो, या किसी अनुप्रयोज्य निर्माण अधिनियम, स्वास्थ्य अध्यादेश, या इसी प्रकार के विनियम का उल्लंघन ना हुआ हो। इस कार्यकारी आदेश में निहित कोई भी प्रावधान किसी भी व्यक्ति या संस्था को किराए का भुगतान करने या किसी व्यक्ति या संस्था को ठेके या किराया समझौते के अनुसरण में किसी अन्य दायित्व, के अनुपालन करने से छूट के रूप में नहीं समझा जाएगा. इस निर्देश की निरंतर आवश्यकता का मूल्यांकन किसी भी नई गवर्नर आपदा उद्‌घोषणा के निर्गमन पर किया जाएगा।

अनुच्छेद 4. कोई भी राजकीय संस्था जिसके लिए जनता के सदस्यों को अपनी पहचान का प्रमाण देना आवश्यक है, वे कांसुलर आइडेंटिफ़िकेशन डाक्युमेंट ऐक्ट 5 ILCS 230/1 et seq. (*Consular Identification Document Act, 5 ILCS 230/1 et seq.*) के अनुसरण में जारी किए गए कांसुलर पहचान दस्तावेज, जिनमें वो कांसुलर पहचान दस्तावेज जिनकी वैधता प्रथम गवर्नर आपदा उद्‌घोषणा की तिथि या उसके बाद समाप्त हो गई हो भी शामिल हैं, को व्यक्ति की वैध पहचान के रूप में स्वीकार करेंगे।

अनुच्छेद 5. इलिनॉय ऐडमिनिस्ट्रेटिव कोड के अनुच्छेद 5300.30 के शीर्षक 56 (*Title 56, Section 5300.30 of the Illinois Administrative Code*) का प्रावधान जो इलिनॉय मानवाधिकार आयोग के प्रक्रियात्मक नियम स्थापित करता है और प्रस्तावों, आदेशों, नोटिसों, और अन्य उत्तरवादों का व्यक्तिगत रूप से या प्रथम श्रेणी डाक द्वारा भेजा जाना अनिवार्य करता है, को निलंबित किया जाता है। गवर्नर आपदा उद्‌घोषणाओं की अवधि के दौरान अनुच्छेद 5300.30 (*Section 5300.30*) के अनुसरण में उत्तरवादों की सेवा व्यक्तिगत रूप से, प्रथम श्रेणी डाक द्वारा, या इलैक्ट्रानिक रूप से प्रदान करने की अनुमति दी जाती है।

अनुच्छेद 6. यदि किसी व्यक्ति या परिस्थिति के लिए इस कार्यकारी आदेश या उसके अनुप्रयोग के किसी भी प्रावधान को सक्षम न्याय अधिकार क्षेत्र वाले किसी भी न्यायालय द्वारा अमान्य ठहराया जाता है, तो यह अमान्यता इस कार्यकारी आदेश के किसी अन्य प्रावधान या अनुप्रयोग, जिसे अमान्य प्रावधान या अनुप्रयोग के बगैर लागू किया जा सकता हो, को प्रभावित नहीं करती। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को पृथक्करणीय घोषित किया जाता है।

____

जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)

राज्यपाल द्वारा 23 अप्रैल, 2020 को जारी किया गया
राज्य सचिव द्वारा 23 अप्रैल, 2020 को दर्ज किया गया